



बिहार सरकार

समाहरणालय, खगड़िया

ई-मेल :- dm-khagaria.bih@nic.in,
generalsectionkhagaria@gmail.com

वेबसाईट :- https://khagria.nic.in

दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के आश्रित द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में निम्नलिखित शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध नियम-2016 के नियम-47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द (Cancel) किया जाता है तथा उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र एवं कारतूस को उनके नाम के सामने उल्लेखित प्रतिष्ठान में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

क्र०	आवेदक का नाम एवं पता	मृत अनुज्ञप्तिधारी का नाम	अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	शस्त्र जमा एवं रद्द करने का कारण	जमा करने वाले प्रतिष्ठान का नाम
1	2		3	5	6	7
1	श्री विनय कुमार आजाद, पे०-स्व० पदुमलाल राय, साकिन-बड़ियाही, थाना-मोरकाही, जिला-खगड़िया	स्व० पदुमलाल राय	05/1991 (खगड़िया थाना)	राईफल	मृत्यू	मे० डिलक्स आर्म्स को०, खगड़िया में
2	श्री आलोक कुमार, पे०-स्व० कृष्ण मोहन प्रसाद, बलूआही, वार्ड नं०-24, जिला-खगड़िया	स्व० कृष्ण मोहन प्रसाद	06/1994 (खगड़िया थाना)	दोनाली बन्दूक	मृत्यू	तथैव
3	तनवीर हसन, पे०-मो० सदरूल हसन, साकिन-इस्माईलपुर, पो०-लाभगांव, जिला-खगड़िया	सदरूल हसन	3376/सहरसा (खगड़िया ओ०डी० नं०-94)	दोनाली बन्दूक	मृत्यू	तथैव

संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित को आदेश दिया जाता है कि वे शस्त्र को संबंधित प्रतिष्ठान में जमा करने के उपरान्त आयुध नियम 2016 के आलोक में नियमानुसार मो०-1000 (एक हजार) रुपये का सरकारी खाता में चालान के माध्यम से जमा कराने के पश्चात् चालान की मूल प्रति, शस्त्र जमा कराने की प्राप्ति रसीद एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी शस्त्र अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे एवं शस्त्र लिपिक इसकी प्रवृष्टि अनुज्ञप्ति पंजी में करना सुनिश्चित करेंगे।

८०/-

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-03/2020.....३३५...../जी०, दिनांक.....६.३.२१

- प्रतिलिपि : संबंधित मृत अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के नाम के सामने अंकित शस्त्र को संबंधित प्रतिष्ठान में जमा कराते हुए मूल अनुज्ञप्ति पुस्तिका NDAL/Alis पर विलोपित करने का शुल्क मो० 500/- रुपये एवं अनुज्ञप्ति रद्द हेतु मो० 500/- रुपये चालान जमा कर मूल प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : मे० डिलक्स आर्म्स को०, विश्वनाथगंज, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मोरकाही/खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

१५/३/२१

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।